

मध्यप्रदेश शासन
गृह (पारपत्र)विभाग
मंत्रालय

प्रेषक:-

श्रीदास
अवर सचिव

प्रेषित:-

✓ भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
फस्ट फ्लोर हेरीटेज बिल्डींग
मेजर घ्यान चंद नेशनल स्टेडियम
नेयर इंडिया गेट नई दिल्ली-1100001

विषय:-

निवास वृद्धि पाक नागरिक/नागरिको- श्री निहाल पुत्र श्री मुरारीलाल 2. श्रीमती रेखाकुमारी पत्नी श्री मुरारीलाल 3. सरगुम पुत्री मुरारीलाल 4. मुरारीलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल निवासी जिला इन्दौर।

भोपाल, दिनांक 1 / 4 / 2019

महोदय,

—0—

विषयांकित पाक नागरिक/नागरिको ने 30 दिन के वीसीटर वीसा पर दिनांक दि.14.11.2015 को भारत आये, मूल वीसा की अवधि दिनांक 24.11.2015 को समाप्त होने पर उनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ स्थाई निवास करने हेतु फार्म "बी" में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये, जो संलग्न प्रेषित है।

2/ पाक नागरिक/नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त जानकारी पत्र के अनुसार उनके पाकिस्तान में पिताजी, दादाजी, ससुर निवासरत है। उनके यहाँ पर रिस्तेदार रहते हैं। अतिरिक्त जानकारी पत्रक की कंडिका 6,7,8,9,10 में नहीं अंकित है। भरण-पोषण हेतु गारंटी बॉण्ड भी प्रस्तुत किया गया है उनके पारपत्र दिनांक 04.11.2020, 03.11.2020, 15.12.2019, 14.11.2022 तक वैध है।


3/ पाक नागरिको पाक नागरिको निहाल पुत्र श्री मुरारीलाल को दिनांक 24.11.2015 से 24.11.2016 तक एवं दिनांक 24.11.2016 से 24.11.2021 तक 2. श्रीमती रेखाकुमारी पत्नी श्री मुरारीलाल को दिनांक 23.11.2015 से 23.11.2016 तक एवं दिनांक 23.11.2016 से 23.11.2021 तक 3. सरगुम पुत्री मुरारीलाल को दिनांक 24.11.2015 से 24.11.2016 तक एवं दिनांक 24.11.2016 से 15.12.2019 तक 4. मुरारीलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल को दिनांक 13.12.2015 से 13.12.2016 तक एवं दिनांक 13.12.2016 से 13.12.2021 तक निवासवृद्धि प्रदान करने हेतु सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा(सुरक्षा) म0प्र0 एवं पुलिस अधीक्षक, इंदौर ने ऑन लाईन द्वारा अनापत्ति व्यक्त की है।

4/ आपके ज्ञाप क्रमांक 12011/25/07/एफ-3, दिनांक 2.6.2010 की कंडिका 3 के संदर्भ में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी जाना है।

5/ अतएव अनुरोध है कि प्रकरण में विशेष शाखा (सुरक्षा) मध्यप्रदेश भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक, इंदौर द्वारा की गई अनापत्तियों के आधार पर उक्त पाक नागरिकों/नागरिक को ऑन लाईन में आवेदित निवास वृद्धि स्वीकृत की जाती है तो राज्य शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। कृपया लिये गये निर्णय से शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध है।

प्रकरण:-ऑनलाईन में अपलोड है।

भवदीय



(श्रीदास)

पृ0 क्रमांक एफ-3(ए)07/2019/ए-1/दो
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक / / 2019

- 1 सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सुरक्षा) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2019-20(76,136,35,36,77,125,37,38)दि.14.01.2019,30.01.2017,08.01.2019,30.01.2017 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 पुलिस अधीक्षक, जिला-इंदौर (म0प्र0) सूचनार्थ है।
- 3 आवेदक मुरारीलाल पुत्र श्री सुन्दरलाल निवासी 301 गुरुकृपा अपार्टमेंस 49 वीर सावरकर नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 4 सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेशन हेतु।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग